संख्या:203/2022/686/35-4-2022/001/35-4099/108/2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-फरीदपुर में राजकीय पालीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली के भवन निर्माण कार्य की शासनादेश संख्या-14/2020/253/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1797.52 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई तत्पश्चात शासनादेश सं0-33/2021/589/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 269.63 लाख तथा शासनादेश सं0-119/2021/1219/35-4-2021, दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 878.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा पत्र सं0-459/मा0मु;मं0घो0/त्व0आ0वि0यो0/2019-20, दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 1348.14 लाख को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में देय रू. 359.50 लाख (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पालीटेक्निक, उमेदपुर भुता, फरीदपुर, बरेली	1797.52	1348.14	359.50

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, 04 मार्च 2021 एवं 03 अगस्त, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,59,50,000 (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:203/2022/686/35-4-2022(01)/001/35-4099/108/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली ।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली ।
14-परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बरेली।
15-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in